न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 308 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 308

धर्मपाल पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 सी.एस. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी चाहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. शिशपाल पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 सी.एस. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
3. पार्वती बेवा स्व0 श्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 सी.एस. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. शारदा पुत्री स्व0 श्री मदनलाल पत्नी श्री रामधन जाति जाट निवासी 22 एलजी डब्ल्यू गणेशगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सरोज पुत्री स्व0 श्री मदनलाल पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी एस.आर.एम. स्कूल के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ, जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 02.09.2022,
प्र. सं. 77/2022 अनवान धर्मपाल बनाम भागीरथ आदि

उपस्थितिः–

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्त रेस्पो0 सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 7

निर्णय

दिनांक 14.X.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष किया विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों के दोहराते हुए कथन किया कि चक 2 एसी एस खाता संख्या 32/33 में 4.495 है0 कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 4, 5 के पिता व रेस्पो0 स0 3 के पति मदनलाल के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि में से घरू बंटवारा में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में प. नं. 97/360 के किला नं. 1 ता 6 अपीलाण्ट के हक व अधिकार में है। मौका पर प. नं. 97/360 के किला नं. 15, 16, 25 में पूर्वी सींव पर पूर्व पश्चिम रास्ता गत 50 वर्षों से चला आ रहा है। मौका पर उक्त रास्ता 12–14 फुट चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि का कोई खंडन नहीं किया है तथा अन्य रेस्पोडेण्ट ने भी इसका कोई खंडन नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में उक्त रास्ता चलना होना स्वीकार किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट में प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं होने का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लधुतम मार्ग एवं विकल्प की उपलब्धता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आत्यंतिक आवश्यकता के अभाव में सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उक्त विवेचना गलत है। अपीलांट के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लघुतम रास्ता का कथन किया जा रहा है जो पत्थर नंबर 97/359 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 अपीलाण्ट की कृषि भूमि से अत्यधिक लम्बाई में पडता है, जबकि प्रश्नगत रास्ता मात्र 3 बीघा की दूरी पर है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट थी कि अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 251 –क में वर्णित मौका पर चल रहे पुराने रास्ता का 16–1/2 चौड़ाई में विस्तार करते हुए पत्थर नं. 97/360 के किला नं. 15, 16, 25 में मुताबिक प्रार्थना–पत्र रास्ता स्वीकार किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की कृषि भूमि मुश्तर्का में है तथा चक 2 सी एस के प. नं. 97/358 के किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता मौके पर चल रहा है तथा पत्थर नं. 97/359 के किला नं. 5, 6 लवीना पत्नी शिशपाल जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की पत्नी है के नाम दर्ज हैं। यह रास्ता सबसे निकटतम एवं सुगम है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी उक्त रास्ता कम दूरी का होने का उल्लेख है। मौके पर रास्ता नहीं चल रहा है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने किला नं. 15 में हरे चारे की काश्त की हुई है। इस चारे तक पहुंचने के लिए प्रश्नगत रास्ता घरू तौर पर छोड़ रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को देखकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट में प्रश्नगत रास्ता चालू होने का लेख है। अपीलांट ने अपने कब्जा काश्त में प. नं. 97/360 के किला नं. 1 ता 6 बंटवारा में अपने कब्जे में होने के कथन किये हैं। इसका खंडन किसी भी रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट से यह भी जाहिर हो रहा है कि अपीलाण्ट को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह विवेचन करते हुए कि लघुतम मार्ग एवं विकल्प की उपलब्धता, आत्यंतिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधा जनक रास्ता हेतु प्रस्तुत करने के कारण खारिज किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जो कतइ गलत हैं क्यों कि अपीलाण्ट के पास उसकी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.09.2022 अपास्त किया जाकर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है एवं प. नं. 97/360 के किला नं. 15, 16, 25 में पूर्वी सींव पर पूर्व से पश्चिम में 16–1/2 फुट चौड़ा व उत्तर से दक्षिण 3 बीघा लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर यदि पक्षकार उक्त रास्ता के बदले में 6 बिस्वा जमीन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को देने में सहमत हैं तो उनकी लिखित में सहमति लेकर खाता संख्या 32/33 की 6 बिस्वा भूमि रेस्पो0 सं0 1 की भूमि के चिपते रेस्पोडेण्ट सं0 1 को दी जावे। असहमत होने पर रास्ते में आई भूमि का मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपीलांट से दिलाई जावे। राशि जमा होने के पश्चात् ही राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/22

(करतारसिंह पूनियां)

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़